Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या 1422 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 27का0अनु.ए0 / ए–4 दिनॉक 07अप्रेल,2006

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– समूह 'ग' एंव 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अर्जित अवकाश नकदीकरण की धनराशि का पचास प्रतिशत के स्थान पर शतप्रतिशत नकद भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।'

तत्कालीन परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिये जाने विषयक पूर्ववर्ती परिषद के ज्ञापांक 104–जी / राविप–का780ए / 1973,दिनांक 09–01–1985 एंव अनुवर्ती संगत आदेशों में विहित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन सेवारत सेवकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य की गई थी ।

कालान्तर में समूह "ग" एंव "घ" श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण (15 / 30 दिन यथाप्रयोज्य) की धनराशि का पचास प्रतिशत नकद भुगतान तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने का प्राविधान पूर्ववर्ती परिषद के ज्ञापांक 1590–काविनी / राविप –29 / 99–15काविनी / 87,दिनांक 05–10–1999 के माध्यम से किया गया था ।

दिनांक14–01–2000 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि योजना एंव तत्सम्बन्धी प्राविधान प्रवृत्त किये जाने तथा सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को अंशदान के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप अर्जित अवकाश नकदीकरण की पचास प्रतिशत धनराशि को भविष्य निधि में जमा किये जाने की प्रकिया में व्यवहृत कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि कारपोरेशन के सेवारत समूह "ग" एंव "घ" श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण (15 / 30 दिन यथाप्रयोज्य) की धनराशि का शतप्रतिशत नकद भुगतान अनुमन्य किया जाएगा ।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्रवृत्त होंगें ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1422 –नि0(मा0सं0) / 27का0अनु0ए. / ए–4,तद्दिनॉकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
2– प्रबन्ध निदेशक,पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 ।
3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक / निदेशक(मा0सं0) / निदेशक(वित्त),उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– अधिशांसी निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0, ऊर्जा भवन,देहरादून ।
5– कम्पनी सचिव,उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
6– मुख्य महाप्रबन्धक(वाणिज्य) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
6– समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0पा0का0लि0 / पा0ट्रां0का0आ0उ0लि0 ।
7– समस्त उप महाप्रबन्धक(वित्त) / उप महाप्रबन्धक (आन्तरिक सम्प्रेक्षा),उ0पा0का0लि0 ।
8– समस्त अनुभाग एंव अनुभाग अधिकारी,उ0पा0का0लि0 / पा0ट्रां0का0आ0उ0लि0 मुख्यालय, देहरादून ।
9– समस्त अधिशासी अभियन्ता,उ0पा0का0लि0 / पा0ट्रां0का0आ0उ0लि0 ।
10–कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल / मास्टर कट फाइल ।

DHIMAN

[डा0 पी0सी0जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1590-कार्मिकी/राविप-29/99-15कार्मिकी/87 दिनांक 5 अक्टूबर, 1999

विषय: समूह "क" एवं "ख" श्रेणी के परिषदीय अधिकारियों को सेवा अवधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सुविधा समाप्त करने तथा समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के परिषदीय कर्मचारियों को सेवा अवधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि का 50 प्रतिशत नकद भुगतान विषयक।

कार्यालय ज्ञाप

परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 104-जी/राविप-का-802/1973, दिनांक 9 जनवरी, 1985 तथा इस विषय में समय-समय पर जारी परिपत्रादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिषद के सेवारत सेवकों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य की गई थी।

2. इसी क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 496-कार्मिकी/राविप-29/99-15कार्मिकी/87, दिनांक 7 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3. उपरोक्त परिपत्रादेशों के अनुक्रम में एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश किये जाते हैं:-

(i) परिषदीय सेवारत समूह "क" तथा "ख" श्रेणी के समस्त अधिकारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सुविधा समाप्त की जाती है।

(ii) परिषदीय सेवारत समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण (15/30 दिन यथाप्रयोज्य) की धनराशि का 50 प्रतिशत नकद भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

4. यदि कोई परिषदीय सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी।

क्रमशः 2

(4)

परन्तु स्थानान्तरित के लिए [illegible] पर [illegible] उपलब्ध न हो तो वह [illegible] के अधिकारी होंगे। ऐसे परिस्थिति [illegible] की [illegible] में [illegible] अपने [illegible] कार्य [illegible] कर्मचारियों का [illegible] किया जायेगा।

6. उक्त संशोधित व्यवस्था इस परिपत्र के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रबन्ध समिति की आज्ञा से,

([illegible] पाण्डे)
सचिव

संख्या [illegible] -79/99 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता/स्तर I व II, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
2. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
3. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
4. मुख्य वित्त/लेखाधिकारी एवं [illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible], उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद।
8. संयुक्त सचिव (ज्ञाप प्रकोष्ठ), उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रबन्ध समिति के कार्यवृत्त सं० 13/1999 के सन्दर्भ में।
9. परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

([illegible])
उप सचिव

दोनों प्रकार के अवकाशों के साथ-साथ । बीच में पड़ने वाले अवकाशों और/अथवा रविवारों को नियमित अवकाश से पहले/बाद में जैसी भी स्थिति हो जोड़ा जा सकेगा ।

(ग) ये आदेश तत्काल प्रभावी माने जायेंगे ।

सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य ।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग

शासनादेश संख्या : 2348/ब्यूरो-105/75 दिनांक : लखनऊ, जुलाई, 30 1976

महोदय,

अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 1523/ब्यूरो/105/75, दिनांक अगस्त 13, 1975 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश है, कि शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था, कि उन राजकीय कर्मचारियों को जो इस समय सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जाये अथवा नहीं । इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है उन राजकीय कर्मचारियों को जो सार्वजनिक उद्योगों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, और जिन्हें नियमानुसार अपने पैत्रिक विभाग में अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होती यदि वे प्रतिनियुक्ति पर न भेजे गये होते, सार्वजनिक उद्योगों की सेवा अवधि में भी अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाये । कृपया तद्नुसार कार्यवाही करें ।

शासनादेश संख्या : 2845/ब्यूरो 44-1-105/75 दिनांक: जुलाई 24, 1979

यह सुविधा उन्हीं शर्तों पर प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध होगी जो सरकारी कर्मचारियों को उनके पैत्रिक विभाग में मिलती यदि वे सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर न गये होते ।

भवदीय,
ह० भक्ति सेन मुकर्जी
उप सचिव

(परिषदाज्ञा संख्या 2807 जी/रा० वि० प०-एक/80ए/73, दिनांक : अक्टूबर 16, 1979, द्वारा अंगीकृत)

परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिया जाना

संख्या: 104-जी/रा० वि० प०-का-एक-80ए/1973 दिनांक: 9, जनवरी 1985

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अवकाश नकदीकरण

सम्बन्धी अब तक निर्गत समस्त परिषदादेशों को निरस्त करते हुए विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अब से निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी:—

पु॰607 (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से प्रवृत्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रुपये 1400/-प्रतिमास अथवा उससे कम वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को तीस दिन तथा रुपये 1400/-प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को पन्द्रह दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, अवकाश के अभ्यर्पण के दिनांक को सम्बन्धित परिषदीय सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम साठ दिन का अर्जित अवकाश अनिवार्यतः शेष रहने पर अनुमन्य होगी।

पु॰607 (ख) अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये सम्बन्धित सेवक को अवकाश वेतन, प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता/वेतन, मँहगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता, विशेष-भत्ता तथा नगर प्रतिकर/परियोजना स्थल प्रतिकर भत्ता उसी दर पर देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से यथा प्रयोज्य 15 अथवा 30 दिन का अर्जित अवकाश वस्तुतः उपभोग करने की स्थिति में अनुमन्य होता किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता तथा पर्वतीय विकास भत्ता देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगी और उसमें से भविष्य-निधि, अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देयों आदि के सम्बन्ध में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी।

(ग) अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये मात्र मूल नियम 9 (21) (एक) में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जायेगा तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर दिया जायेगा।

(घ) अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के साथ/क्रम में वास्तविक उपभोग हेतु लिया जाने वाला उपार्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश, जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में परिषदीय सेवक को देय कुल अर्जित अवकाश अथवा एक सौ बीस दिन, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा। जब भी कोई सेवक अवकाश नकदीकरण अथवा उसके साथ/क्रम में उपार्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश लेना चाहेगा तो उसे उक्त आशय हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा।

*(ङ) औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ही नकदीकरण हेतु अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकृत करने के लिये सक्षम होंगे। समस्त सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपने

---

* परिषदाज्ञा संख्या 381-जी/रा० वि० प०-का-एक-80ए/1973, दिनांक 13 फरवरी 1985 द्वारा संशोधित

आवेदन-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार उसी दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित माना जायेगा जिसका स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति आदेश में किया जायेगा। परिषदीय सेवक के अवकाश लेखे में इस आशय की अभियुक्ति अंकित कर दी जायेगी कि यह कमी सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गई।

(च) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक ही बार अनुमन्य होगी, परन्तु जिन मामलों में पुराने आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा का उपभोग कर लिया गया हो (भले ही उपभोग वित्तीय वर्ष के दृष्टिकोण से क्यों न किया गया हो) ऐसे मामलों में उन आदेशों के अन्तर्गत चालू कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की सुविधा पुनः अनुमन्य नहीं होगी।

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेखे में कर दी गई है, जहाँ तक अराजपत्रित सेवकों का सम्बन्ध है. अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित वेतन के आहरण के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अनिवार्यतः अंकित कर दिया जायेगा। अभ्यर्पित अवकाश से सम्बन्धित अवकाश वेतन आहरित करते समय वेतन-वितरण अधिकारी द्वारा उस बिल में जिसमें अवकाश वेतन-आहरित किया जाता है, इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में अंकित कर दी गई हैं।

(ज) अराजपत्रित सेवकों को अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये अवकाश-वेतन तथा भत्तों का भुगतान अवकाश अभ्यर्पण के दिनांक के तुरन्त बाद कर दिया जायेगा। जहाँ तक राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे इस सम्बन्ध में भी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अनुच्छेद 249 (वाई) के अधीन अग्रिम उसी प्रकार आहरित कर सकेंगे जैसा कि वे एक सौ बीस दिन तक के अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में कर सकते हैं।

(झ) अर्जित अवकाश के नकदीकरण की यह सुविधा परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवकों को भी विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं दशाओं में अवकाशादि के विषय के लिये कोई अन्यथा/विपरीत व्यवस्था निर्धारित न हो।

(ञ) यह सुविधा उन समस्त परिषदीय सेवकों को भी अनुमन्य होगी जो परिषदेतर भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्यत्र वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, प्रतिबन्ध यह है कि उनकी प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्यसेवा

की शर्तों एवं दशाओं में अवकाश आदि के सम्बन्ध में इससे विपरीत अथवा अन्यथा प्राविधान विद्यमान न हो ।

(ट) अवकाश अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जबकि सम्बन्धित परिषदीय सेवकों के सेवा निवृत्त होने में एक माह/तीस दिन से कम अवधि शेष रह गई हो किन्तु परिषदीय सेवक की मृत्यु की दशा में परिषदादेशांक 2381-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 सपठित आदेश सँख्या 3683-जी/रा० वि० प०-एक-230ए/1966, दिनांक 1/2 फरवरी, 1984 में वर्णित व्यवस्था अनुसार अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान अनुमन्य होगा ।

(ठ) अवकाश नकदीकरण की सुविधा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 86 तथा 86ए के अधीन अस्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अनुमन्य नहीं होगी ।

(ड) यदि कोई सेवक किसी अवधि का अवकाश नकदीकरण आवेदित करता है जिसमें अवकाश की अवधि का विस्तार दो कैलेण्डर वर्षों में हो तो ऐसे स्थिति में प्रश्नगत अवकाश नकदीकरण को उसी कैलेण्डर वर्ष में माना जायेगा जिस कैलेण्डर वर्ष में अवकाशावधि की प्रारम्भिक तिथि पड़ेगी ।

(ढ) ऐसे परिषदीय सेवकों के सन्दर्भ में, जिनके वेतनमान अभी तक अपुनरीक्षित हैं अथवा जिन्होंने पुराने वेतनमान ही चुनने का विकल्प दे रखा है, अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता हेतु उनके मूल वेतन में दिनांक 1 अप्रैल, 1979 को अनुमन्य तत्कालीन महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार से आगणित वेतन के आधार पर ही उन्हें यथाप्रयोज्य 15 अथवा 30 दिनों के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी ।

(ण) समस्त परिषदीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त धनराशि को अपने भविष्यनिधि खाते में जमा कर दें परन्तु जहाँ सम्बन्धित भविष्य निधि अँशदायी प्रकृति की होगी वहां इस जमा धनराशि पर किसी प्रकार के परिषदीय अँशदान का कोई हक नही होगा ।

2. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथापि जिन मामलों में इन आदेशों के निर्गतन की तिथि तक अवकाश स्वीकृति के आदेश पुरानी अवकाश नकदीकरण व्यवस्था के आधार पर निर्गत किये जा चुके हैं, उनको किसी दशा में पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा और जिन सेवकों के आवेदन पुरानी व्यवस्थानुसार स्वीकृति हेतु पहले से विचाराधीन है, उनको पुराने आदेशों के अनुसार भी निस्तारित किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे

सेवकों को कैलेण्डर वर्ष 1985 में दोबारा अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अवकाश नकदीकरण के आवेदनार्थ नवीन संशोधित प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक

अवकाश/अवकाश के नकदीकरण हेतु आवेदन-पत्र

टिप्पणी : (1) क्रमांक 1 से 10 पर्यन्त प्रविष्टियां समस्त आवेदकों द्वारा भरी जानी हैं चाहे वे किसी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी हों।

(2) क्रमांक 10 केवल अवकाश के नकदीकरण के मामले पर ही लागू होगा।

1—आवेदक का पूरा नाम :

2—लागू अवकाश-नियम :

3—पदनाम :

4—विभाग/कार्यालय :

5—वेतन यथापरिभाषित मूलनियम-9(21) (एक) :

6—अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक [क] दिनांक से दिनांक तक तक अपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति : [ख] अवकाश की प्रकृति :

7—अवकाश मांगे जाने का कारण :

8—विगत अवसर पर किस दिनांक से
किस दिनांक तक अवकाश लिया
गया तथा उसकी प्रकृति क्या थी ?

9- अवकाश की अवधि में पता :

10- (क) क्या 30 अथवा 15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है ?

(2) यदि हाँ, तो किस दिनांक को ?

(ख) क्या चालू कैलेण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की कोई सुविधा प्राप्त हुई है ?

दिनांक : 198 आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर

11- अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति

दिनांक : 198 हस्ताक्षर एवं पदनाम

12- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4, के सहायक नियम-81 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) (जो अप्रयोज्य हो उसे काट दें) :-

(क) प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम/सहायक नियम .....के अधीन दिनांक.....से दिनांक .....तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद-10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा देय तथा अनुमन्य है।

दिनांक : 198 सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

13- अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश

दिनांक : 198 हस्ताक्षर तथा पदनाम

परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिया जाना।

संख्या : 381-जी/रा०वि०प०-का-1-80ए/73 दिनांक फरवरी 13, 1985

उपर्युक्त विषयक परिषदीय कार्यालय ज्ञापांक 104-जी/रा०वि०प०-का-एक-80ए/1973 दिनांक 9 जनवरी, 1985 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर (ङ) का प्रथम वाक्य संशोधित रूप में निम्नवत पढ़ा जाय:—

"औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ही नकदीकरण हेतु अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे।"

2- मुझे यह भी कहना है कि कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं अधिकारिकों को भली भाँति अवगत करा दें।

परिषदीय सेवकों को अवकाश नकदीकरण के साथ पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य

संख्या : 2031/जी/रा०वि०प०-एक-80ए/1973 दिनांक मई 17, 1985

उपर्युक्त विषय परिषदीय कार्यालय ज्ञापांक 104-जी/रा०वि०प०-का-एक-80ए/1973, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ज्ञाप के प्रस्तर—1 (ख) का आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन की अनुरूपता में परिषद ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि यथाप्रयोज्य परिषदीय सेवकों को पर्वतीय विकास भत्ता दिनांक 1 मई, 1985 एवं उनके उपरान्त स्वीकृत होने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण के मामलों में देय होगा परन्तु इसके पूर्व के निस्तारित मामले पुनरोद्घाटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।